<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)</u>

प्रश्न 1. सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता हेतु एडिप योजना क्या है और यह दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कैसे मदद कर रहा है?

एडिप योजना के तहत <u>दिव्यांगजनों</u> को उनके स्वतंत्र कामकाज में सुधार लाने और दिव्यांगता की सीमा और माध्यमिक दिव्यांगता की <u>दशा</u> को रोकने के उद्देश्य से सहायक उपकरण दिए जाते हैं। इस योजना में सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले जब भी आवश्यक हो सुधारात्मक सर्जरी करने की परिकल्पना की गई है। विस्तृत योजना को होमपेज पर डाउनलोड अनुभाग से डाउनलोड किया जा सकता है।

श्न 2. एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र हैं? लिखित शर्तों को पूरा करने वाला दिव्यांग व्यक्ति एडिप योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होगा ?

i. किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक।
ii. **दिव्यांगता प्रमाण पत्र (बेंचमार्क दिव्यांगता)** रखता है ।
iii. सभी स्रोतों से मासिक आय 30,000 /- रुपये प्रति माह से अधिक न हो। आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय रु. 30,000/- प्रति माह।
iv. सहायता राशि इस प्रकार होगी:-

कुल आय	सहायता की राशि
22,500/- रु प्रति माह तक	उपकरण/सहायक यन्त्र की कुल लगत
22,501/- रु से .30,000/- रु तक .	सहायक यंत्र उपकरण की लागत का/50%

किसी भी स्रोत से एक ही उद्देश्य के लिए गत् 3वर्षों के दौरान सहायता नहीं प्राप्त की गई। हालांकि ,12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, सहायता का न्यूनतम समय एक वर्ष है।

प्रश्न 3. कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं ?

i. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
ii. दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति ।
iii. पते का प्रमाण (आधार कार्ड या / मतदाता पहचान पत्र या / राशन कार्ड आदि की कॉपी)
iv. आय प्रमाण पत्र की एक प्रति।
v. एक वचनबद्धता कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने किसी भी स्रोत से एक ही प्रकार का सहायक यंत्र/उपकरण प्राप्त नहीं किया है।

प्रश्न 4. एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

i. राजस्व एजेंसी या बीपीएल कार्ड या मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) कार्ड।
ii. दिव्यांगता पेंशन कार्ड।
iii. सांसद / विधायक / काउंसलर / ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र ।
iv. कार्यान्वियन एजेंसियां की मार्फत नोटरीकृत शपथ-पत्र।

प्रश्न 5. क्या इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु 6 वर्ष से कम आयु वाले बौद्धिक दिव्यांगता/विकासत्मक विलंब वाले बच्चे पात्र हैं?

जी हाँ, एडिप योजना के तहत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकासात्मक विलंब प्रमाण पत्र पर टीएलएम किट के वितरण के लिए विचार किया जाता है। हालांकि, न्यूनतम 40% दिव्यांगता की शर्त को कम नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 6. एडिप योजना के तहत मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल/मोटरयुक्त व्हीलचेयर प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

i. गंभीर गतिविषयक (लोकोमोटर) दिव्यांगता, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, हेमिप्लेजिया से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए और समान स्थितियों वाले अन्य किसी व्यक्ति जहां शरीर का या तो तीन/चार अंग अथवा आधा हिस्सा गंभीर रूप से बाधित है, के लिए मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल और मोटरयुक्त व्हीलचेयर दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए।
ii. 16 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है।
iii. सब्सिडी की मात्रा 50,000 /- रुपये तक होगी।
iv. 100% सब्सिडी के लिए स्वयं/अभिभावक की मासिक आय सभी स्रोतों से 22500/- रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
v. 50% सब्सिडी के लिए स्वयं/अभिभावक की मासिक आय सभी स्रोतों से 30000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 7. क्या कोई प्रदान किए गए सहायक यंत्र/उपकरण को बदलने/उसे ठीक करने हेतु अनुरोध कर सकता है?

जी हाँ ।

i. संबंधित कार्यान्वियन एजेंसी से संपर्क करें जिसने उस यंत्र को उपलब्ध कराया है। एलिम्को के मामले में, 1800-5990019 टोल फ्री नंबर पर डायल करें।
ii. लाभार्थी अपनी शिकायत इस पोर्टल के माध्यम से सीधे संबंधित एजेंसी को भी ऑनलाइन भेज सकते हैं।

प्रश्न 8. सहायक यंत्र/सहायक उपकरण के लिए कोई व्यक्ति कहां और कैसे आवेदन कर सकता है?

i. आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एलिम्को, राष्ट्रीय संस्थानों, सीआरसी, डीडीआरसी और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (संपर्क विवरण डाउनलोड सेक्शन से देखा जा सकता है) से संपर्क कर सकते हैं।
ii. आवेदक लाभार्थी पंजीकरण टैब पर क्लिक करके एडिप एमआईएस पोर्टल (www.adip.disabilityaffairs.gov.in/ADIP/login) पर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
iii. आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं:-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003

प्रश्न 9. कोई व्यक्ति सहायक यंत्र/सहायक उपकरण कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

क. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) और इसके आरएमसी- संपर्क नंबर 1800-599-0019 और टेलीफोन नंबर 01124369027
ख. एडिप योजना के तहत सहायक कार्यान्वियन एजेंसी की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाती है और होम पेज पर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड की जा सकती है।
ग. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय संस्थान:

- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (देहरादून)
- अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (मुंबई)
- राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (कोलकाता)
- राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (चेन्नई)
- पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (नई दिल्ली)
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (सिकंदराबाद)
- स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (कटक)

प्रश्न 10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

एडिप-एसएसए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी इनकी होगी:

(क) विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य

(ख) सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के सरकारी डॉक्टर

(ग) स्थानीय एसएसए प्राधिकारी और

(घ) एलिम्को के प्रतिनिधि।

प्रश्न 11. सहायक यंत्र और उपकरण के लिए एक लाभार्थी एडिप वेब पोर्टल पर स्वयं को ऑनलाइन कैसे पंजीकृत कर सकता है?

i. एडिप पोर्टल के होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण बटन पर क्लिक करके।

ii. लाभार्थी को कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची में से एक उपयुक्त एजेंसी का चयन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवश्यक विवरण भरना चाहिए। लाभार्थी को सफल पंजीकरण होने पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 12. मैं किस एजेंसी का चयन करूं?

i. कृपया अपनी दिव्यांगता और स्थान के आधार पर उपयुक्त एजेंसी का चयन करें
ii. आप "मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल" के लिए एलिम्को और "कॉकलियर इम्प्लांट" के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान का चयन करें"।
iii. यदि आप एजेंसी के नाम से भ्रमित हैं तो आप एडिप मुख्यालय का चयन कर सकते हैं।
iv. आप डाउनलोड अनुभाग से एजेंसियों की सूची का अवलोकन कर सकते हैं। आप नीचे दी गई सूची का उल्लेख कर सकते हैं जहां एलिम्को और विभिन्न एनआई द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

क्र.सं.	एजेंसी	शामिल किए गए राज्य
1	एलिम्को	1. कानपुर, उत्तर प्रदेश, 2. नई दिल्ली, दिल्ली, 3. नवी मुंबई, महाराष्ट्र, 4. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 5. बैंगलोर, कर्नाटक, 6. भुवनेश्वर, ओडिशा, 7. जबलपुर, मध्य प्रदेश, 8. सिकंदराबाद, तेलंगाना, 9. गुवाहाटी, असम, 10. मोहाली, पंजाब, 11. उज्जैन, मध्य प्रदेश
2	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान	1. मुंबई, महाराष्ट्र, 2. नोएडा, उत्तर प्रदेश, 3. जानला, ओडिशा, 3. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 4. सिकंदराबाद, तेलंगाना 5. भोपाल, मध्य प्रदेश, 6. अहमदाबाद, गुजरात, 7. नागपुर, महाराष्ट्र,
3	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान	1.सिकंदराबाद, तेलंगाना 2. नोएडा, उत्तर प्रदेश, 3. नई दिल्ली, दिल्ली, 4. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 5. नवी मुंबई, महाराष्ट्र, 6. नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, 7. देवणगेरे, कर्नाटक, 8. राजनंदगांव, छत्तीसगढ़
4	राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन	1. चेन्नई, तमिलनाडु, 2. कोझिकोड, केरल, 3. पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और

	सशक्तिकरण संस्थान	निकोबार, 4. शिलोंग, मेघालय,
5	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान	1. देहरादून, उत्तराखंड, 2. सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश, 3. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 4. गंगटोक, सिक्किम, 5. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 6. सिकंदराबाद, तेलंगाना, 6. चेन्नई, तमिलनाडु
6	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान	1. कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 2. पटना, बिहार, 3. नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश, 4. देहरादून, उत्तराखंड, 5. आइजोल, मिजोरम,
7	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान	1. नई दिल्ली, दिल्ली, 2. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, 3. लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 4. करनाल, हरियाणा 5. टोंक, राजस्थान, 6. सिकंदराबाद, तेलंगाना
8	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	1. कटक, ओडिशा, 2. मणिपुर, 3. बालांगीर, ओडिशा, 4. रांची, झारखंड, 5. गुवाहाटी, असम

v. इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियां सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करती हैं।

******